



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 03]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 23, 2015/माघ 3, 1936

No. 03]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 23, 2015/MAGHA 3, 1936

भारत निर्वाचन आयोग

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2015

आ.अ. 6(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपखंड (iii), तारीख 13.01.2015 में प्रकाशित, हिन्दी अधिसूचना संख्या 56/2015 रा.दल.अनु- II दिनांक 13.01.2015 में-

- हिन्दी अधिसूचना के पृष्ठ संख्या 4 में अंकित सारणी के स्तम्भ 4 के अन्तर्गत क्रम सं. 4 में “बिहार राज्य” की “राष्ट्रीय लोक समता पार्टी” के सम्मुख विद्यमान प्रविष्टि को “छत का पंखा” पढ़ा जाए।
- हिन्दी अधिसूचना के पृष्ठ संख्या 69 में अंकित सारणी के स्तम्भ 2 व 3 के अन्तर्गत क्रम सं. 1287 पर विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः “राष्ट्रीय जागृति पार्टी” और “ऋषभ इंस्टीच्यूट, चिरैयाटाड़ पुल, चौधरी पेट्रोल पम्प, कंकड़बाग, पटना, बिहार-800020” पढ़ा जाए।

[सं. 56/2015/रा.दल अनु. II]

आदेश से

वरिन्दर कुमार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd January, 2015

O.N. 6(E).—In the **Hindi Version of the Commission's Notification** No. 56/2015/PPS-II dated 13.01.2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (iii), dated 13.01.2015:-

- At page 4 of the **Hindi version of the Notification** in column 4 against Sl. No. 4 in respect of “Rashtriya Lok Samata Party” the existing entry may be read as “Chhat ka Pankha”.
- At page 69 against Sl. No. 1287 of the **Hindi version of the Notification**, the existing entries under column 2 and 3 shall be read as “Rashtriya Jagriti Party” and “Rishabh Institute, Chiraitaad Pul, Chaudhary Petrol Pump, Kankarbagh, Patna, Bihar -800020”, respectively.

[No. 56/2015/PPS-II]

By Order,

VARINDER KUMAR, Secy.

342 GI/2015